(48)

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA सत्यमेव जयते दस रुपये TEN RUPEES

5रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA सत्यमेव जयते पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुर्नाविलोकन प्रकरण क्रमांक /2014 जिला–नीमच

पुनर्विलोकन 1832-I-14

1. शिवप्रसाद पुत्र स्व. श्री मांगीलालजी माली
2. बंशीलाल पुत्र स्व. श्री मांगीलालजी माली
3. चंदा पुत्र स्व. श्री मांगीलाल जी माली
4. रमेश पुत्र स्व. श्री मांगीलाल जी माली
5. सुरेश पुत्र स्व. मांगीलाल जी माली निवासीगण बगीचा नम्बर 6 नीमच केंट, तहसील नीमच, जिला नीमच (म.प्र.) ...... आवेदकगण

विरूद्ध

मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका नीमच (म.प्र.) ...... अनावेदकगण

19.6.14

19.6.14

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1832–एक/14 जिला नीमच

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15.1.2015	आवेदक की ओर से श्री के0के0द्विवेदी अधिवक्ता उपस्थित । उन्हें रिव्यु की ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना । 2– आवेदक अधिवक्ता के रिव्यु प्रकरण की ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 588–एक/12 में पारित आदेश दिनांक 3–6–14 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 3– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हों । प्रशासकीय सदस्य	